संख्या-4/2025/481/94-1-2025-312(85)/2015

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबंधन,
उ०प्र० लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक : 12 मार्च, 2025**

विषय : गाटा सं०-632 राजस्व ग्राम हरिहरपुर, परगना बिजनौर, तहसील व जनपद लखनऊ की अधिगृहीत भूमि रकबा 02 हे० पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के मुख्यालय भवन निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-31/शि0का0लख0/नजा0/2024, दिनांक 04-01-2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से गाटा सं०-632 राजस्व ग्राम हरिहरपुर, परगना बिजनौर, तहसील व जनपद लखनऊ की अधिगृहीत भूमि रकबा 02 हे० पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के मुख्यालय भवन का ई0पी0सी0 मिशन मोड से निर्माण हेतु मानचित्र एवं आगणन का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के साथ ही वांछित व्यय अनुमान स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 5889.32 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रू0 2061.26 लाख (रूपये बीस करोड़ इकसठ लाख छब्बीस हज़ार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

1. महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024, संख्या-5/2024/बी-1-642/दस-2024-231/2024, दिनांक 16.07.2024 व समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
2. संदर्भित प्रायोजना की लागत रू० 50.00 करोड़ से अधिक है। अतः वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार प्रायोजना का निर्माण कार्य ई0पी0सी0 मोड पर कराया जाना है। अत: प्रायोजना के सम्बन्ध में ई० पी०सी० मोड की समस्त प्रक्रिया एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन नियोजन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
3. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा।
4. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

6. निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। परियोजना के क्रियान्वयन में टाईम ओवर रन, कॉस्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 21-06-2017 का अनुपालन सुनिश्चत किया जायेगा।

7. कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

8. कार्यदायी संस्था द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

9. धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं/डिजाइन एवं ड्राइंग को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

11. नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही परियोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

12. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

13. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए लागत का आकलन किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

14. कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवक्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में गुणवक्तापूर्वक पूर्ण हो जाये।

15. व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16. प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

17. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 शासनादेश संख्या-2/2017/बी-3-1034/दस/2017-100(4)/2002ब०मै० दिनांक 21.11.2017 के प्राविधानो का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

18. विभाग द्वारा ऑफिस के बेहतर एवं कुशल संचालन हेतु न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार गुणवक्ता परक फर्नीचर के क्रय करने हेतु शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

19. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू० 101.71 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। महानिरीक्षक निबन्धन/ कार्यदायी संस्था द्वारा विद्युत संयोजन हेतु यू०पी०पी०सी०एल० के सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन प्राप्त कर विद्युत कनेक्शन सम्बन्धी कार्य कराये जायें। उक्त मद पर व्यय वास्तविकता के आधार पर देय होगा।

20. प्रायोजना के निर्माण स्थल/कैम्पस पर खाली स्थान पर प्रशासकीय विभाग द्वारा मियावाकी प्लांटेशन (MIYAWAKI PLANTATION) अवश्य कराया जाये, जिससे स्वच्छ पर्यावरण को लाभ मिलेगा।

21. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य की गयी है। तकनीकी सेल ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया में अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाये कि प्रयोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 अलग से सम्मिलित न हो।

22. कार्यदायी संस्था द्वारा सेंटेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17-05-2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19-05-2023 में निहित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

23. 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि के भुगतान का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

24. निर्माण कार्यों की प्रगति एवं गुणवक्ता के शतत् अनुश्रवण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा। उक्त समिति द्वारा किये गये अनुश्रवण एवं संस्तुतियों सहित फीडबैक शासन को प्रेषित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू० 2061.26 लाख (रूपये बीस करोड़ इकसठ लाख छब्बीस हज़ार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 091 लेखा शीर्षक** 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01-कार्यालय भवन, 800-अन्य व्यय, 03 स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग के कार्यालय भवनों के निर्माण, 24 वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र **संख्या-E-9-91-X-2024-25 दिनांक 11-03-2025** में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
4. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ।
6. जिलाधिकारी, लखनऊ।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र० प्रयागराज।
8. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
9. मुख्य अभियंता (तकनीकी सेल), ई0पी0सी0 मिशन नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आशीष कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।